परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

——————————संलग्न है——————————

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

(28) 30

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा

संख्या:– 5757 / III(2) / 10–05(मु0म0घो0) / 2010

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 09 नवम्बर, 2010

विषय:– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, चौबी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार 05 कार्यो के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 547.89 लाख (₹ पॉच करोड़ सैंतालीस लाख उन्यासी हजार मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 05 कार्यो हेतु ₹ 0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों की जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही हो तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7– स्वीकृत किये गये कार्यो के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-[illegible]-2047/XIV-219(2006) दिनांक [illegible] द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या अनुमोदन गठित करते समय कड़ाई से [illegible] सुनिश्चित किया जायेगा।

[illegible] किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी [illegible] का होगा।

इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-[illegible] में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-[illegible]-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत [illegible] व्यय-03 राज्य सेक्टर- 02 नवीन निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 543/XXVIII(2)/2010 दि0: 09 नवम्बर, 2010 [illegible] उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

[illegible] यथोपरि।

01 DEC 2010
लो0 नि0 वि0 पौड़ी

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या:- (1)/111(2)/10-05(मु0मं0घो0)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबरय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद पौड़ी/टिहरी/चमोली/रूद्रप्रयाग।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद पौड़ी/टिहरी/चमोली/रूद्रप्रयाग।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम्/अष्टम्/नवम्/बारवॉ वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर/टिहरी/देहरादून/पौड़ी।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

Photo Copy Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

Photo Copy Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

आज्ञा से,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लो0नि0वि0, देहरादून

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या: 1470/02 आ0प्र0(क)-उत्तरा0/2010 दि0 11/11/2010

पृष्ठांकन प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0 विभाग, पौड़ी
2. अधीक्षण अभियन्ता, 7/8/12 वां वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर/टिहरी/पौड़ी
3. वाउचर की/आवे.नि., लो0नि0वि0 मुख्यालय, देहरादून

आज्ञा से,

शासनादेश संख्या- 5157/III(2)/10-05(मु0मं0घो0)/2010 दि0 09 नवम्बर, 2010 का सं

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित (लाख ₹ में)	वित्तीय 2010-11 हेतु स्वीकृत (लाख ₹
01	02	03	04	05
01	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में थत्यूड से केम्पटी मोटर मार्ग का निर्माण। घोषणा सं0:-427/2009	14.00+ 02 सेतु	178.08	0.10
02	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में कौड़िया-मोटाढांग मार्ग पर बी0ई0एल0 के पास सुखरौ नदी पर 385 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण। घोषणा सं0:- 446/2009	385 मी0	42.21	0.10
03	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के जखोली विकासखण्ड के अन्तर्गत कोटली बांसी मोटर मार्ग का नवनिर्माण। घोषणा सं0:-03/2010	8.00	100.80	0.10
04	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के जखोली विकासखण्ड के अन्तर्गत सुमाडी- बिराणगांव- जाखाल मोटर मार्ग का नवनिर्माण। घोषणा सं0:- 04/2010	10.00	126.00	0.10
05	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के अन्तर्गत तपोवन रिंगी भविष्य बद्री मोटर मार्ग के किमी0 11 से किमी0 18.00 तक विस्तार हेतु 8.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण। घोषणा सं0:-60/2010	8.00	100.80	0.10
			547.89	0.50

(कुल ₹ पचास हजार मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव

Photo Copy Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

Photo Copy Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग